राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : डीसी/2013/ दिनांक :

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– दिनांक 10.05.2013 को राज्य के दवा विक्रेताओं द्वारा प्रस्तावित बंद के कारण अस्पतालों के सभी दवा वितरण केन्द्र खुले रखने बाबत।

महोदय,

आल इण्डिया ओर्गनाइजेशन आफ केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट के आव्हान पर राज्य के सभी दवा विक्रेताओं ने दिनांक 10.05.13 को राज्यव्यापी बन्द रखने एवं दवा की दुकानें बन्द रखने की सूचना भेजी है। चार सूत्रीय जो मांग पत्र दिया गया है उसका अध्ययन करने पर पाया कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश में दवा विक्रेताओं का Trade मार्जिन कम होने की संभावना के तहत तथा भारत सरकार द्वारा नकली दवा के मामलें में कानून को कठोर बनाने के विरोध में, योग्यता के बजाय अनुभव के आधार पर फार्मासिस्ट बनाने व खुदरा व्यवसाय में विदेशी पूंजी लगाने की अनुमति नहीं देने के लिये बंद प्रस्तावित है जो कि सारहीन है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया राज्य के सभी दवा वितरण केन्द्रों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि दिनांक 10.05.13 को केन्द्रों पर सभी दवायें मरीजों के उपयोग हेतु उपलब्ध रखें जिससे उन्हे असुविधा नहीं हो।

संलग्न :

(डी0के0 श्रृंगी)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : डीसी/2013/507 दिनांक : 8/5/13

प्रतिलिपिः–

1. प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल., राज0, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर।
3. समस्त अधीक्षक, Associated Group of Hospitals/PMO/CMHO को भेजकर लेख है कि जिलों में कार्यरत सभी Life Line Drug Store/ DDC को विशेषकर खुला रखवाया जावे जिससे मरीजों को होने वाली संभावित असुविधा से राहत मिल सके।
4. समस्त जिला कलेक्टर।
5. सहायक औषधि नियंत्रक/ औषधि नियंत्रण अधिकारी।
6. सर्वर रूम को भेजकर निवेदन है कि सभी अधिकारियों को पत्र जरिये e-mail भिजवायें। कृपया विभागीय Website पर भी load करें।

(डी0के0 श्रृंगी)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

D:\Mukesh Ji\Letter.doc